अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः प0 4(4)साप्र/6/2008 जयपुर, दिनांक 3/5/2012

निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– स्वतंत्रता सेनानियों एवं अनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन राशि में वृद्धि किये जाने बाबत।

महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 7.4.2011 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अन्तगर्त वर्तमान में राज्य मद से देय सम्मान पेंशन राशि रूपये 15,000/– को बढाकर रूपये 17,000/– (अक्षरे सत्रह हजार मात्र) प्रतिमाह किये जाने एवं चिकित्सा सहायता के रूप मे वर्तमान में देय रूपये 1,000/– को बढाकर रूपये 3000/– (अक्षरे तीन हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह दिनांक 1.4.2012 से किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा निदेशानुसार प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष के बजट मद 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–107–स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन योजना (01) स्वतंत्रता सैनानियों एवं उनके आश्रितों आदि को पेंशन सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, 24–पेंशन एवं उपादान, (आयोजना भिन्न) से वहन किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग द्वारा उनकी आई. डी. क्रमांक 181200357 दिनांक 27.4.2012 पर दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर को 100 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय–2/बजट डिवीजन) विभाग।
8. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग से अतिरिक्त बजट प्रावधान की कार्यवाही कराने हेतु (नोट शीट 132–33/एन तक संलग्न)।
10. नोडल अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग वेवसाइट, को वेवसाइट पर डलवाने बाबत। (A.S. Cabin
11. अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी संगठन, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव